# कार्यालय उपायुक्त मण्डी जिला मण्डी
## निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बचत विकास एव सेवा समिति उपायुक्त कार्यालय मण्डी द्वारा कैफे ट्रीट चौहाटा बाजार मण्डी के नए टैण्डर हेतु निविदांए दिनांक 20.1.2022 को दोपहर 12.00 बजे सहायक आयुक्त उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में खोली जानी निर्धारित की गई है।रखी गई है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी इच्छुक ब्यक्ति उक्त कैफें को किराये पर लेना चाहता है तो वह दिनांक 20.1.2022 सुबह 11.30 बजे तक या इससे पहले अग्रिम राशि मुवलिग 25000/– रूपये इस कार्यालय में जमा करवांये। 11.30 बजे के बाद कोई भी अग्रिम राशि या निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोपहर 12.00 निविदांए समस्त निविदादाताओ व उनके प्राधिकृत सदस्यो के सामने खोली जाएगी।

### निविदा की शर्ते

1 बोलीदाता/निविदादाता को दिनांक 20.1.2022 को प्रातः 11.30 बजे तक मुवलिग 25000/रूपये अग्रिम राशि बैंक डॉफट के माध्यम से अध्यक्ष उपायुक्त जिला बचत समिति मण्डी के नाम इस कार्यालय में जमा करवाने होंगें जो कि असफल निविदादाता बोलीदाता को वापिस कर दिए जाएगें तथा सफल निविदादाता/बोलीदाता की धरोहर राशि किराये में समायोजित कर दी जाएगी। बिना अग्रिम राशि कोई भी ब्यक्ति टैण्डर प्रकिया में भाग नही ले सकता है।

2 निविदादाता को जी0एस0टी0 पंजीकरण की कॉपी पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी तकनीकी निविदा के साथ जमा करवानी होगी।

3 इच्छुक निविदादाता को दोहरी निविदा प्रणाली Two bid System के अन्तर्गत अपनी निविदा जमा करवानी होगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक तकनीकी निविदा तथा दूसरी वितीय निविदा होगी। निविदादाता को दस्तावेज एक लिफाफे में बन्द कर उसके बाहर Technical bid तथा दूसरे लिफाफे में निविदा की राशि लिख कर बाहर Finsncial bid लिखना ह्रोगा। इन दोनो लिफाफों को एक अन्य बडे लिफाफे में डालकर उसके बाहर Tender for shop लिख कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में Tender Box में डालकर निर्धारित अवधि के भीतर जमा करवाना होगा। निर्धारित अवधि के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

4 निविदा मुल्यांकन समिति द्वारा पहले Technical bid खोली जाएगी तथा जो निविदा कर्ता तकनीकी निविदा में सफल होगा उन्ही की वितिय निविदा खोली जाएगी।

5 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी भी समय निविदा की तिथि स्थान व समय में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

6 निविदा हेतु न्युनतम मूल्य मुवलिग 40000/–रूपये प्रतिमाह होगा तथा GST@ 18% अलग होगा।

7 सफल निविदादाता को मुवलिग 100000/–रूपये आबंटन के दस दिनों के भीतर जमानत राशि इस कार्यालय में जमा करवाने होगें।तथा आबंटन के 10 दिनों के भीतर आबंटन सम्बधि इकरारनामा तीन वर्ष हेतु अधोहस्ताक्षरी के साथ करना होगा।

8 सफल निविदादाता उक्त दुकान का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी वैध ब्यवसाय कैफे/Restaurent ( Without bar) के लिए ही कर सकता है। यदि सफल बोलीदाता कोई गैरकानूनी अवैध गतिविधि उक्त दुकान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में करता है तो दुकान को तुरन्त खाली करना ह्रोगा तथा उसकी जमानत एव अग्रिम राशि जब्त कर दी जाएगी।

9 सफल बोलीदाता को हर महिने मासिक किराया अग्रिम रूप से 10 तारीख से पहले जमा करवाना होगा यदि किराया निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रतिदिन मुवलिग 500/–रूपये के हिसाब से वसूली की जाएगी यदि फिर भी किराया एक माह मे जमा नहीं करवाया जाता है तो आबंटन को रद्व माना जाएगा तथा सफल बोलीदाता की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

10 दुकान मे प्रयुक्त होने वाली बिजली व पानी इत्यादि की ब्यवस्था सफल बोलीदाता को स्वंय करनी होगी।

11 सफल बोलीदाता दुकान की उचित सफाई एवं रखरखाव के लिए उतरदायि होगा।

12 यदि सम्पति को नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी भरपाई जमानत राशि से की जाएगी।

13 तीन वर्ष के बाद नवीकरण तभी हो पाएगा यदि सफल बोलीदाता तीन वर्ष तक नियमित रूप से किराया जमा करवायेगा तथा प्रत्येक तीन वर्ष के बाद किराये में 10 % की बृद्वि होंगी।

14 बोलीदाता दुकान मे कोई अतिरिक्त फेरबदल नहीं कर सकता है तथा न ही किसी को सबलैट कर सकता है।अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त कार्यालय की लघु बचत शाखा में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

आदेशानुसार

उपायुक्त
मण्डी जिला मण्डी।

प्रतिलिपि No – 207 दिनांक 4-1-2022

1 सूचना बिज्ञान केन्द्र मण्डी को सूचनार्थ कि वे उपरोक्त निविदा को इस कार्यालय की Website में upload करे।
2 एलईडी चोहाटा बाजार मण्डी में विज्ञापन हेतु।

सहायक आयुक्त उपायुक्त
मण्डी जिला मण्डी।